सेवार्थ

10/10/19 - पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उप० प्रा०पत्र 212 RTA पर बहस हेतु अवसर चाहते है, अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा०पत्र 212 RTA में दि० 18/10/19 को पेश हो।

18/10/19 पत्रावली पेश हुई P.O. अवकाश पर रहे अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 21.10.19 को पेश हो।

21/10/19 - पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उप०, विपक्षी अधिवक्ता के सहायक अधिवक्ता उपस्थित, विपक्षी अधिवक्ता के घर में पारिवारिक विवाह होने से बहस हेतु अवसर चाहा है। न्यायहित में अंतिम अवसर बहस का दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दि० 30/10/19 को पेश हो।

30/10/19 - पत्रावली पेश हुई, वकील उभयपक्ष उप०। बहस प्रा०पत्र 212 RTA पर सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 31/10/19 को पेश हो।

31.10.19 - पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रार्थना पत्र 212 RTA प्रार्थी का स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया जाकर शा. फा. किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ रहे।

31/10/19

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला–चित्तौडगढ़(राज.)
पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :: 88/2018

1. शंभुलाल पिता चुन्नीलाल धाकड निवासी गलियाबावडी तह0 बेगूँ
2. गोपाल पिता चुन्नीलाल धाकड निवासी गलियाबावडी तह0 बेगूँ

प्रार्थीगण

बनाम

1. चुन्नीलाल पिता बरदा जी धाकड निवासी गलियाबावडी तह0 बेगूँ
2. भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार बेगूँ जिला चितौडगढ़
3. श्री पंजीयन अधिकारी , पंजीयन कार्यालय, बेगूँ तह0 बेगूँ

विपक्षीगण

उपस्थित :: श्री विजय भारद्वाज
अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री इफ्तेखार अजमेंरी
अधिवक्ता विपक्षी.1

आदेश दिनांक : 31.10.2019

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण की ओर से मूल वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का अधिवक्ता श्री विजय भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया कि ग्राम गलियाबावडी पटवार हल्का रामपुरिया में प्रार्थीगण के दादा जी एवं विपक्षी संख्या एक चुन्नीलाल के पिता स्व0 बरदा पिता मियाचन्द उर्फ मियाराम जी धाकड के कब्जे काश्त की पुश्तैनी कृषि आराजीयात स्थित है। स्व. बरदा पिता मियाचन्द उर्फ मियाराम जी का देहान्त हो जाने के पश्चात उक्त आराजीयात पतिवादी/विपक्षी संख्या एक के नाम पर हक हिस्सा अनुसार दर्ज हु ई है जो निम्न प्रकार है:

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
40	137	0.0800
	138	0.0110
	142	0.3100
	144	0.0500
	152	0.0200
	153	0.5100
	180	0.1100
	275	0.0200
	280	0.5400
	309/155	0.0700
	किता–10	3.8200हैक्टर

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण एवं विपक्षी के परिवार का सजरा निम्न प्रकार से हैः

मियाचन्द उर्फ मियाराम धाकड फोत

।

बरदा जी धाकड फोत

।

चुन्नीलाल — शंभुलाल, गोपाल, शंकरी (मृत), गीता

शंकरी (मृत) — मुकेश, पुजा

मोहनलाल — शंकरलाल, शंभुलाल, छगनलाल

वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के दादा जी की पुश्तैनी आराजीयात जिसका अंकन जमाबन्दी सम्वत 2033से 36 के खाता संख्या 11 में अंकित है प्रार्थीगण के पिता चुन्नीलाल जी (विपक्षी संख्या 1) के पिता का नाम बरदा पिता मियाचन्द उर्फ मियाराम जी था, बरदा जी धाकड का देहान्त हो जाने के पश्चात उनके नाम की समस्त पुश्तैनी कृषि आराजीयात उनके पुत्र चुन्नीलाल पिता बरदा के नाम पर हक हिस्सा अनुसार विरासत से अंकित हु इ है। इसलिए उक्त पुश्तैनी आराजीयात में प्रार्थीगण का हिन्दु विधि के अनुसार विधिक उत्तराधिकारी होने से जन्म से ही हक हिस्सा व अधिकार बनता है। प्रार्थीगण का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा (प्रार्थीगण का कुल 2/5हिस्सा) बनता है, जिसको प्रार्थीगण अपने नाम पर ख्यातेदारी म ें दर्ज कराने के वैध रूप से अधिकारी है।

विपक्षी संख्या एक प्रार्थीगण के साथ आये दिन लडाई झगडा करते है तथा प्रार्थीगण के साथ गाली गलोच करते रहते है विपक्षी संख्या एक व अपनी पुत्री गीताबाई के साथ मि लकर समस्त उक्त पुश्तैनी कृषि आराजीयात जो प्रार्थना पत्र की चरण संख्या दो में अंकित है को अपनी दुसरी पुत्री स्व.शंकरी बाई के पुत्र व पुत्री मुकेश कु मार व पूजा के नाम पर गैर कानूनी तरीके से पंजीयन कराने पर आमदा है, जिसका विपक्षी को कोई कानूनन हक अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने विपक्षी को भूमि हम प्रार्थीगण के नाम पर करवाने की कहा तो उन्होने मना कर दिया इसलिए प्रार्थीगण द्वारा उक्त भू मि को विधिवत हक हिस्से अनुसार प्रार्थीगण के नाम घोषित किये जाने हेतु वादपत्र न्यायालय आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

यह कि विपक्षी संख्या एक को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजी को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय बैचान बय या बक्षीश आदि नहीं करें एव प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावे एवं न ही परिवार के सदस्य ,नौकर, एजेन्ट आदि से करावें व न ही राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन न करे न करावें।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को मूल वाद के अंतिम निरतारण तक के लिए इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञासे पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम गलियाबावडी पटवार हल्का रामपुरिया की आराजी संख्या 137, 138, 142, 144, 152, 153, 180, 275, 280, 309/155 कुल किता 10 कुल रकबा 3.8200 हैक्टर भू मि का विक्रय बैचान रहन दान या बक्षीश विपक्षी संख्या एक किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करें एवं प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न ही अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य नौकर या एजेन्ट आदि से उत्पन्न करावें, न ही कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करें, न ही किसी अन्य से

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला–चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

करावें व न ही राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन करावें। तथा विपक्षी संख्या दो व तीन को भी पाबन्द फरमाया जावे कि वादपत्र के निस्तारण तक उक्त आराजीयात का अन्य किसी को बय, बक्षीश, दान ,वसीयत, बेचान आदि का पंजीयन नहीं करें एवं राजस्व रेकार्ड में यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया मूल दावा पत्रावली में अधिवक्ता श्री अजमेंरी ने अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए इस प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्णित आराजी होना स्वीकार है एवं अप्रार्थी ने अपने खाते में दर्ज हिस्से को पंजीकृत दान विलेख से सम्पत्ति का दान कर कब्जा मुकेश कुमार धाकड को सुपुर्द कर दिया है। पत्रावली में प्रस्तुत सजरा चुन्नीलाल के पश्चात का सजरा स्वीकार है, प्रार्थीगण शेष कथन स्वयं साबित करें।

विपक्षी चुन्नीलाल ने अपने हक हिस्से की भूमि को पंजीकृत दान पत्र के माध्यम से संपत्ति का दान अपने नाति (नवासा) मुकेश कुमार धाकड को कर दिया है और वर्तमान में संपत्ति पर कब्जा मुकेश कुमार का है। विपक्षी चुन्नीलाल ने कभी कोई लडाई झगडा नहीं किया है विपक्षी वृद्ध होने के कारण अकसर बीमार रहता है और प्रार्थीगण मुझ चुन्नीलाल की सेवा भी नही करते है और मुकेश कुमार को सेवा भी नहीं करने देते है जिससे विपक्षी चुन्नीलाल ने दिनांक 31.05.2018 को भूमि का दान कर दिया हैं । विपक्षी को दान विकय करने के सारे अधिकार है जिन्हें विपक्षी ने दिनांक 31.05.2018 को उपयोग करते हुए संपत्ति को दान कर दिया है। जबाव के विशेष कथन में उल्लेख किया है कि सम्पत्ति का दिनांक 31.05.2018 को दान हो जाने , वाद कारण परिवर्तित हो गया है और स्थिति में परिवर्तन हो जाने के कारण प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावें।

जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर ध्यानपूर्वक सुनी गई तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया तथा प्रस्तुत सभी दस्तावेज का गहनता से अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा की तीन पूर्व शर्त आवश्यक है :

1. प्रथम दृष्टया मामला ::

प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम गलियाबावडी पटवार हल्का रामपुरिया की आराजी संख्या 137, 138, 142, 144, 152, 153, 180, 275, 280, 309/155 कुल किता 10 कुल रकबा 3.8200 हैक्टर भूमि चुन्नीलाल पिता बरदा 1/2, शंकर,, शंभु, छगन, घीसीबाई कंचन पिता मोहनलाल 1/2 हक से दर्ज है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा गलियाबावडी सम्वत 2033 से 36 में उक्त आराजी बरदा पिता मियाराम धाकड के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज होना पाया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेज से वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की पैतृक आराजी का होना दर्शाये गये सजरे के अनुसार सिद्ध होता है, प्रार्थीगण का वर्णित आराजीयात पैतृक होने से प्रार्थीगण का 2/5 हिस्सा होना प्रतीत होता है। चूंकि आराजीयात पैतृक है तथा प्रार्थीगण हिन्दु उत्तराधिकार के तहत वर्णित आराजी में अपना हक हिस्सा (नोश्नल शेयर) रखते है, जिससे प्रार्थीगण को विपक्षी संख्या एक को उनके हक हिस्से तक की आराजी को विकय किये जाने से रोकने का अधिकार दस्तावेजी प्रमाण से सिद्ध होता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है।

सहायक कलैक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

2. सुविधा का संतुलन ::

प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजी होकर उक्त आराजी में प्रार्थीगण के हक हिस्से पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है जिससे उन्हें उनके हिस्से की आराजी को विक्रय,दान या बक्षीश करने का अधिकार विपक्षी सं. 1 को नहीं है। विपक्षी द्वारा वक्त बहस पंजीकृत दान पत्र जो कि विपक्षी चुन्नीलाल द्वारा अपने नाती मुकेश के पक्ष में किया है की प्रति प्रस्तुत की है जबकि पुश्तैनी आराजी में प्रार्थीगण के हक हिस्से तक की भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण या दान करने का अधिकार विपक्षी संख्या एक को नहीं है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है।

3. अपूर्णनीय क्षति ::

प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजी होने व कब्जा प्रार्थीगण का उनके हक हिस्से तक का होने से प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध हुआ है, यदि विपक्षी संख्या 1 वर्णित आराजी को अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरण करते है तो प्रार्थीगण को निश्चित ही आर्थिक क्षति होगी ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 का सुविधा का संतुलन, अपूरणनीय क्षति व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाता है, विपक्षी संख्या 1 चुन्नीलाल पिता बरदा धाकड निवासी गलियाबावडी को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम गलियाबावडी पटवार हल्का रामपुरिया की आराजी संख्या 137, 138, 142, 144, 152, 153, 180, 275, 280, 309/155 कुल किता 10 कुल रकबा 3.8200 हैक्टर भूमि में प्रार्थीगण के हिस्से 2/5 का बैचान किसी अन्य को नहीं करें।

आदेश आज दिनांक 31.10.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

31/10/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी),बेगूँ

Scanned by CamScanner